इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक-08.02.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म, मारपीट तथा गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 22,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म, मारपीट तथा गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 22,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 01.08.2018 को थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी द्वारा थाना सिविल लाइन पर अभियुक्त द्वारा उसके साथ दुष्कर्म, मारपीट तथा गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी के संबंध में तहरीर दी गयी, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 298/18 धारा 323/376/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री रावेन्द्र सिंह द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त छोटू उर्फ संजीत पुत्र प्रेम चन्द्र निवासी रतन नगर थाना सिविल लाइन जनपद इटावा के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस टीम पैरोकार का0 अमित कुमार एवं मानीटरिंग सैल व ए0डी0जी0सी0 तरूण शुक्ला द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। **जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 08.02.2024 को अन्तर्गत धारा 323/376/506 भादवि में मा0 न्यायालय श्रीमान ADJ/FTC-I जनपद इटावा द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 22,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. छोटू उर्फ संजीत पुत्र प्रेम चन्द्र निवासी रतन नगर थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।